



उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पो0ऑ0 – रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड-244715

फोन नं0: (05947)-252276, 254275, फैक्स नं0 : (05947)-255021, 252276

email : secy-ubse-uk@nic.in वेबसाइट :www.ubse.uk.gov.in

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 (प्रथम)' के संदर्भ में विविध जिज्ञासाएं एवं समाधान

1. हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षाफल सुधार परीक्षा

- हाईस्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों में सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है?
 - ✓ हाईस्कूल स्तर पर परीक्षार्थी अधिकतम दो विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।
- क्या मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ?
 - ✓ हाँ। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु वे केवल परीक्षाफल सुधार परीक्षा "प्रथम" में ही सम्मिलित हो सकते हैं।
- हाईस्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक देय है अथवा नहीं ?
 - ✓ हाईस्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक देय है। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी को जो अंक प्राप्त होंगे उन्हें परीक्षाफल में अंकित करने के उपरान्त उत्तीर्णता मापदण्ड लागू किये जायेंगे। परीक्षार्थी यदि कृपांक प्राप्त करने की अर्हता पूर्ण करता है तो उसे नियमानुसार कृपांक देय होंगे।
- हाईस्कूल स्तर पर कृपांक देने के क्या मापदण्ड हैं ?
 - ✓ उत्तीर्णता मापदण्ड के अनुसार परीक्षार्थी को अधिकतम दो विषयों में कुल मिलाकर अधिकतम 08 अंक का कृपांक प्रदान किया जा सकता है। हाईस्कूल स्तर पर कृपांक की अर्हता के लिये आवश्यक है कि परीक्षार्थी को संबंधित विषय में लिखित और प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट (जो भी लागू हो) में कुल मिलाकर कम से कम 25 प्रतिशत अर्थात् 25 अंक प्राप्त हुए हों। साथ ही, कृपांक के लिये परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांक (GRAND TOTAL) न्यूनतम 33 प्रतिशत अर्थात् 165 अंक होना अनिवार्य है।
- क्या दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं?
 - ✓ हाँ, अधिकतम 04 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी दो विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है बशर्ते कि सुधार परीक्षा के उपरान्त अन्य अनुत्तीर्ण विषय/विषयों में वे उत्तीर्णता मापदण्ड के अनुसार कृपांक पाने हेतु अर्ह हों। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं –

1. क्या चार विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है?

Subject	Th. Marks	Pr./I.A Marks	Total	Result
Hindi	20	15	35	
English	14	15	29	F
Math.	15	16	31	F
Science	16	15	31	F
Soc. Sci.	14	14	29	F
Total			155	FAIL

- ✓ हाँ, उक्त परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह है।

20

20

इस प्रकरण में परीक्षार्थी 04 विषयों में अनुत्तीर्ण है। इन सभी 04 विषयों में परीक्षार्थी को 25 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और उसके कुल प्राप्तांक 155 (31%) हैं। यह परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह है, किन्तु इस प्रकरण में उत्तीर्ण होने के लिये परीक्षार्थी को यह आवश्यक होगा कि जिन दो विषयों में वह सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करता है उन दोनों विषयों में अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्थात् 33 अंक प्राप्त करे, जिससे वह आवेदित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो सके। इसके साथ ही उसके कुल प्राप्तांकों का योग न्यूनतम 33 प्रतिशत अर्थात् 165 हो जाय, जिससे उसे अन्य दो विषयों (जिनमें वह अनुत्तीर्ण है) में कृपांक प्राप्त हो सकें।

2. क्या तीन विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है?

Subject	Th. Marks	Pr./I.A Marks	Total	Result
Hindi	40	15	55	
English	19	15	34	
Math.	15	16	31	F
Science	16	15	31	F
Soc. Sci.	14	14	28	F
Total			179	FAIL

✓ हाँ, उक्त परीक्षार्थी सुधार परीक्षा में परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।

इस प्रकरण में परीक्षार्थी 03 विषयों में अनुत्तीर्ण है। इन सभी 03 विषयों में परीक्षार्थी को 25 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और उसके कुल प्राप्तांक 179 (35.80%) हैं। यह परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह है। इस प्रकरण में उत्तीर्ण होने के लिये परीक्षार्थी किसी एक विषय अथवा दो विषयों में सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदित किसी भी एक विषय में 33 अंक प्राप्त कर लेने पर परीक्षार्थी को अन्य दो विषयों में कृपांक का लाभ मिल जायेगा, और वह उत्तीर्ण हो जाएगा।

3. क्या तीन विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार कर सकता है?

Subject	Th. Marks	Pr./I.A Marks	Total	Result
Hindi	40	15	55	
English	30	15	45	
Math.	05	16	21	F
Science	06	15	21	F
Soc. Sci.	10	14	24	F
Total			166	FAIL

✓ नहीं, उक्त परीक्षार्थी सुधार परीक्षा में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार करने हेतु अर्ह नहीं है।

इस प्रकरण में परीक्षार्थी 03 विषयों में अनुत्तीर्ण है। इन सभी 03 विषयों में परीक्षार्थी को 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए हैं यद्यपि उसके कुल प्राप्तांक 166 (33.20%) हैं। यह परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन कर परीक्षाफल सुधार करने हेतु अर्ह नहीं है। इस प्रकरण में यदि परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण 03 विषयों में से किन्हीं दो विषयों में सुधार परीक्षा दे कर उनमें उत्तीर्ण हो जाय फिर भी उसका परीक्षाफल यथावत् अनुत्तीर्ण ही रहेगा, क्योंकि उसके तीसरे अनुत्तीर्ण विषय में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्तांक न होने के कारण उसे कृपांक का लाभ नहीं मिल पायेगा।

PR

- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के प्रथम अवसर में जिस विषय/विषयों का चयन किया है। क्या सुधार परीक्षा के द्वितीय या तृतीय अवसर में उसके द्वारा इन विषयों में परिवर्तन किया जा सकता है ?
 - ✓ नहीं, प्रथम परीक्षाफल सुधार परीक्षा में चयनित विषय/विषयों में परीक्षार्थी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिस विषय/विषयों के साथ परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा के प्रथम अवसर में सम्मिलित हुआ है उसी विषय/विषयों के साथ द्वितीय अथवा तृतीय अवसर में सम्मिलित हो सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय एवं तृतीय अवसर केवल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही प्रदान किया जायेगा।
 - ✓ उत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा के केवल प्रथम अवसर में ही सम्मिलित हो सकेंगे।
- यदि परीक्षार्थी को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों से कम अंक प्राप्त होते हैं तो परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
 - ✓ कुछ नहीं, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूर्ववत् रहेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय/विषयों में सम्मिलित होगा उस विषय/विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अथवा पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हों, को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसे दूसरा अंक पत्र/प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र निर्गत किया जाएगा, जिसमें परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना की जाएगी, और उससे पूर्व में परिषद् द्वारा निर्गत मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा।
- यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करता है परंतु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उस परीक्षार्थी के परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
 - ✓ कुछ नहीं, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूर्ववत् रहेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय/विषयों में सम्मिलित होगा उस विषय/विषयों में पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसे दूसरा अंक पत्र/प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र निर्गत किया जाएगा, जिसमें परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना की जाएगी, और उससे पूर्व में परिषद् द्वारा निर्गत मूल अंक पत्र/प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा।
- क्या परीक्षार्थी को प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट (जो भी लागू हो) भाग की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित कराया जा सकता है?
 - ✓ नहीं, परीक्षाफल सुधार परीक्षा में केवल लिखित (सैद्धान्तिक) भाग की परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग की परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।
- यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा?
 - ✓ नहीं, यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उसका शुल्क भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत् रहेगा।
- क्या विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं ?
 - ✓ नहीं, विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं।




2. इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल सुधार परीक्षा

- इण्टरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों/प्रश्नपत्रों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है ?
- ✓ इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षार्थी केवल एक विषय/प्रश्नपत्र में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।
- इण्टरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक देय है अथवा नहीं?
- ✓ इण्टरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक देय है। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी को जो अंक प्राप्त होंगे उन्हें परीक्षाफल में अंकित करने के उपरान्त उत्तीर्णता मापदण्ड लागू किये जायेंगे। परीक्षार्थी यदि कृपांक प्राप्त करने की अर्हता पूर्ण करता है तो उसे नियमानुसार कृपांक देय होंगे।
- इण्टरमीडिएट स्तर पर कृपांक देने के क्या मापदण्ड हैं ?
- ✓ उत्तीर्णता मापदण्ड के अनुसार परीक्षार्थी को अधिकतम दो विषयों में कुल मिलाकर अधिकतम 08 अंक का कृपांक प्रदान किया जा सकता है। इण्टर स्तर पर कृपांक की अर्हता के लिये आवश्यक है कि परीक्षार्थी को संबंधित विषय में लिखित (सैद्धान्तिक) और प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट (जो भी लागू हो) भाग में पृथक-पृथक न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों। 80, 70, 50, 30 व 20 अंक (जो भी लागू हो) की परीक्षा हेतु 25 प्रतिशत अंक क्रमशः 20, 17, 12, 07 एवं 05 निर्धारित किये गये हैं। साथ ही कृपांक के लिये परीक्षार्थी के कुल प्राप्तान्क (GRAND TOTAL) न्यूनतम 33 प्रतिशत अर्थात् 165 अंक होना अनिवार्य है।
- क्या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं?
- ✓ हाँ, अधिकतम 03 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी एक विषय में परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि सुधार परीक्षा के उपरान्त अन्य अनुत्तीर्ण विषय/विषयों में वे उत्तीर्णता मापदण्ड के अनुसार कृपांक पाने हेतु अर्ह हों। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण निम्नवत हैं—
1. क्या तीन विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है?

Subject	Th. Marks	Pr./I.A/Prj. Marks	Total	Result
Hindi	40	15	55	
English	30	15	45	
Math.	22	16	38	F
Physics	20	25	45	F
Chemistry	14	24	38	F
Total			221	FAIL

- ✓ हाँ, उक्त परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने हेतु अर्ह है।

इस प्रकरण में परीक्षार्थी तीन विषयों में अनुत्तीर्ण है। गणित विषय में परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 22 अंक प्राप्त हुए हैं। गणित में सैद्धान्तिक भाग का पूर्णांक 80 है तथा उत्तीर्णांक 26 है जिससे परीक्षार्थी के 04 अंक कम हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 20 अंक प्राप्त हुए हैं। भौतिक विज्ञान में सैद्धान्तिक भाग का पूर्णांक 70 है तथा उत्तीर्णांक 23 है जिससे परीक्षार्थी के 03 अंक कम हैं। रसायन विज्ञान में

PR *CE*

परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 14 अंक प्राप्त हुए हैं। रसायन विज्ञान में सैद्धान्तिक भाग का पूर्णांक 70 है तथा उत्तीर्णांक 23 है जिससे परीक्षार्थी के 09 अंक कम हैं। यह परीक्षार्थी केवल रसायन विज्ञान विषय में ही परीक्षाफल सुधार परीक्षा देने हेतु अर्ह है। यदि परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में रसायन विज्ञान में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त कर लेता है तो परीक्षार्थी को गणित में 04 अंक तथा भौतिक विज्ञान में 03 अंक अर्थात् कुल 07 अंक का कृपांक मिल जायेगा और वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा।

2. क्या दो विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार कर सकता है?

Subject	Th. Marks	Pr./I.A/Prj. Marks	Total	Result
Hindi	40	15	55	
English	30	15	45	
Math.	18	16	34	F
Physics	26	25	51	
Chemistry	14	24	38	F
Total			223	FAIL

- ✓ नहीं, उक्त परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं कर सकता है।

इस प्रकरण में परीक्षार्थी दो विषयों में अनुत्तीर्ण है। गणित विषय में परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 18 अंक प्राप्त हुए हैं। गणित में सैद्धान्तिक भाग का पूर्णांक 80 है तथा उत्तीर्णांक 26 है जिससे परीक्षार्थी के 08 अंक कम हैं। इसी प्रकार रसायन विज्ञान में परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 14 अंक प्राप्त हुए हैं। रसायन विज्ञान में सैद्धान्तिक भाग का पूर्णांक 70 है तथा उत्तीर्णांक 23 है जिससे परीक्षार्थी के 09 अंक कम हैं। दोनों ही अनुत्तीर्ण विषयों में परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए हैं, अतः परीक्षार्थी कृपांक हेतु अर्ह नहीं है क्योंकि कृपांक हेतु परीक्षार्थी के गणित विषय के सैद्धान्तिक भाग में न्यूनतम 25 प्रतिशत अर्थात् 20 अंक तथा रसायन विज्ञान विषय के सैद्धान्तिक भाग में न्यूनतम 25 प्रतिशत अर्थात् 17 अंक नहीं हैं। अतः किसी एक विषय में परीक्षाफल सुधार परीक्षा देकर वह उसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर भी ले तब भी दूसरे विषय में कृपांक का लाभ न मिलने के कारण उसका परीक्षाफल यथावत अनुत्तीर्ण ही रहेगा।

3. क्या दो विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर अपना परीक्षाफल सुधार कर सकता है ?

Subject	Th. Marks	Pr./I.A/Prj. Marks	Total	Result
Hindi	40	15	55	
English	30	15	45	
Math.	20	16	36	F
Physics	26	25	51	
Chemistry	18	24	42	F
Total			229	FAIL

- ✓ हाँ, उक्त परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार कर सकता है।

इस प्रकरण में परीक्षार्थी दो विषयों में अनुत्तीर्ण है। गणित विषय में परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 20 अंक प्राप्त हुए हैं। गणित में सैद्धान्तिक भाग का पूर्णांक 80 है तथा उत्तीर्णांक 26 है जिससे परीक्षार्थी के 06 अंक कम हैं। रसायन विज्ञान में परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 18 अंक प्राप्त हुए हैं। रसायन विज्ञान में

PN 

सैद्धान्तिक भाग का पूर्णांक 70 है तथा उत्तीर्णांक 23 है जिससे परीक्षार्थी के 05 अंक कम हैं। दोनों ही अनुत्तीर्ण विषयों में परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक भाग में 25 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कृपांक हेतु गणित विषय के सैद्धान्तिक भाग में 25 प्रतिशत अर्थात् 20 अंक तथा रसायन विज्ञान विषय के सैद्धान्तिक भाग में 25 प्रतिशत अर्थात् 17 अंक होने चाहिए। अतः किसी भी एक विषय में सुधार परीक्षा देकर वह उसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर ले तो दूसरे विषय में उसे कृपांक का लाभ मिल जायेगा और वह उत्तीर्ण हो जाएगा।

- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के प्रथम अवसर में जिस विषय/प्रश्नपत्र का चयन किया है, क्या सुधार परीक्षा के द्वितीय या तृतीय अवसर में उसके द्वारा इन विषयों में परिवर्तन किया जा सकता है ?
 - ✓ नहीं, प्रथम परीक्षाफल सुधार परीक्षा में चयनित विषय/प्रश्नपत्र में परीक्षार्थी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिस विषय/प्रश्नपत्र के साथ परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा के प्रथम अवसर में सम्मिलित हुआ है उसी विषय/प्रश्नपत्र के साथ द्वितीय अथवा तृतीय अवसर में सम्मिलित हो सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय एवं तृतीय अवसर केवल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही प्रदान किया जायेगा।
 - ✓ उत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा के केवल प्रथम अवसर में ही सम्मिलित हो सकेंगे।
- यदि परीक्षार्थी को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों से कम अंक प्राप्त होते हैं तो परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
 - ✓ कुछ नहीं, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूर्ववत रहेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय/प्रश्नपत्र में सम्मिलित होगा उस विषय/प्रश्नपत्र में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अथवा पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हों, को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसे दूसरा अंकपत्र/प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र निर्गत किया जाएगा, जिसमें परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना की जाएगी और उससे पूर्व में परिषद् द्वारा निर्गत मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा।
- यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करता है परंतु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उस परीक्षार्थी के परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
 - ✓ कुछ नहीं, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूर्ववत रहेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय/प्रश्नपत्र में सम्मिलित होगा उस विषय/प्रश्नपत्र में पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसे दूसरा अंकपत्र/प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र निर्गत किया जाएगा, जिसमें परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना की जाएगी और उससे पूर्व में परिषद् द्वारा निर्गत मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा।
- यदि किसी परीक्षार्थी ने प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग (जो भी लागू हो) में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त न किए हों/अनुपस्थित रहा हो तो क्या उसे प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित कराया जा सकता है?
 - ✓ नहीं, परीक्षाफल सुधार परीक्षा में केवल लिखित (सैद्धान्तिक) भाग की परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट (जो भी लागू हो) भाग की परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

 

- यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा?
- ✓ नहीं, यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उसका शुल्क भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत् रहेगा।
- क्या विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं ?
- ✓ नहीं, विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं।


01/05/2025
सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल

**हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (तृतीय)'
के संदर्भ में विविध जिज्ञासाएं एवं समाधान**

1. हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल सुधार परीक्षा

- परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2023(तृतीय) में कौन परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं ?
 - ✓ हाईस्कूल (कक्षा-10) की परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (तृतीय) में केवल वही परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जो परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024(प्रथम) अथवा परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (द्वितीय) में सम्मिलित हुए हों और अनुत्तीर्ण हुए हों।
- यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024(प्रथम) अथवा परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (द्वितीय) में सम्मिलित हुआ था और उत्तीर्ण हो गया था। क्या वह अपने अंकों में सुधार हेतु पुनः परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024(तृतीय) में सम्मिलित हो सकता है ?
 - ✓ नहीं । परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (तृतीय) में केवल वही परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (प्रथम) अथवा परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (द्वितीय) में सम्मिलित हुए हों और अनुत्तीर्ण हुए हों।
- क्या परीक्षार्थी जिस/जिन विषय/विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (प्रथम) अथवा परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (द्वितीय) में सम्मिलित हुआ था, उस/उन विषय/विषयों में परिवर्तन कर सकता है ?
 - ✓ नहीं , यह संभव नहीं है। परीक्षार्थी केवल उन्हीं विषय/विषयों के साथ परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024(तृतीय) में सम्मिलित हो सकता है, जिन विषय/विषयों के साथ वह परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (प्रथम) अथवा परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (द्वितीय) में सम्मिलित हुआ हो।
- क्या ऐसा परीक्षार्थी, जो परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (प्रथम) में सम्मिलित हुआ हो और पुनः अनुत्तीर्ण होने के पश्चात समस्त विषयों के साथ वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2024 (तृतीय) में सम्मिलित हो सकता है?
 - ✓ नहीं, यह संभव नहीं है।


सचिव 01/05/2025

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल